न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी दिव्या RAS

वादपत्र सं. 66/2025

अनुवान घड़सीराम बनाम सोनादेवी आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 131, 136 राज.भू.रा. अधि 1956

निर्णय दिनांक 02.04.2025

घड़सीराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी हामूसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

—वादी

बनाम्

1. सोनादेवी पत्नी पीथाराम
2. रणजीत कुमार पुत्र पीथाराम
3. शंकरलाल पुत्र पीथाराम

(1 से 3) जाति जाट निवासी हामूसर तहसील रतनगढ जिला चूरू राजस्थान

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, श्री आदेश सींवर विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री ओमप्रकाश बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 4

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादी के पिता फूसा वल्द लादू व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता पीथा वल्द कालू एक ही खानदान के खेती बाड़ी करने वाले काश्तकार थे। वादी के पिता फूसा के तीन भाई कालू, जेठा व जोधा भी थे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता पीथा के तीन भाई निराण, हरिराम व मोहन थे। जिनके नाम सहखातेदारी कृषि भूमि गत ख0नं0 110 रकबा 42 बीघा 14 बिश्वा, ख0नं0 126 रकबा 64 बीघा 13 बिश्वा, ख0नं0 142 रकबा 33 बीघा 8 बिश्वा किता 3 कुल रकबा 140 बीघा 15 बिश्वा तथा ख0नं0 111 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा, ख0नं0 127 रकबा 46 बीघा 2 बिश्वा व ख0नं0 129 रकबा 36 बीघा 1 बिश्वा किता 3 कुल रकबा 83 बीघा 19 बिश्वा कुल खसरे 6 कुल रकबा 224 बीघा 14 बिश्वा रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर में [illegible] मोहन कुआरा फौत हो गया, जिसके नाम की भूमि प्रतिवादी के पिता पीथा, निराण, हरिराम [illegible] ब0हि0ब0 दर्ज हो गई। जिसका इंतकाल सं0 69 दिनांक 02.03.1983 को [illegible] में अमलदरामद हुआ। उक्त भूमि का पक्षकारान के पूर्वजों ने सहमति से विभाजन कर [illegible]। जिसका नामान्तरण सं0 [illegible] रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। बाद विभाजन वादी के पिता फूसा के हिस्से में ख0नं0 110 की 18 बीघा 19 बिश्वा जिसके नये ख0नं0 160/110 रकबा 18 बीघा 19 बिश्वा कायम हुए तथा ख0नं0 126 की 19 बीघा 4 बिश्वा जिसके नये ख0नं0 163/127 रकबा 19 बीघा 4 बिश्वा कायम हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

एवं ख0नं0 129 की 18 बीघा जिसके नये ख0नं0 167/129 रकबा 18 बीघा कायम हुए तथा प्रतिवादीगण के पिता पीथा व उनके भाई निराण, हरिराम के हिस्से में गत ख0नं0 110 की 13 बीघा 6 बिश्वा जिसके नये ख0नं0 159/110 रकबा 13 बीघा 6 बिश्वा, ख0नं0 111 की सम्पूर्ण 1 बीघा 16 बिश्वा, ख0नं0 127 की 23 बीघा 1 बिश्वा जिसके नये ख0नं0 165/127 रकबा 23 बीघा 1 बिश्वा, ख0नं0 129 की 18 बीघा 1 बिश्वा जिसके नये ख0नं0 166/129 रकबा 18 बीघा 1 बिश्वा रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर कायम हुए। विभाजन ई.नं. 81 की पुस्त पर विभाजित भूमियों के नजरी नक्शे प्रदर्शित किये गये जिसमें गत ख0नं0 129 की उतरी तरफ की भूमि वादी के पिता व दक्षिण तरफ की प्रतिवादीगण के पिता व उनके भाई निराण, हरिराम के हिस्से में रखी गई। वादी के पिता के अन्य भाईयों की हिस्सा भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उनके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। गत ख0नं0 129 रकबा 36 बीघा 1 बिश्वा भूमि के नक्शे गलत तरमीम हो गए उसके सम्बन्ध में उक्त दावा पेश किया जा रहा है। वादी के पिता फूसाराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनके नाम कृषि भूमि विरास्तन जरिये इंतकाल सं0 153 के आधार पर वादी के पिता घड़सीराम व उनके भाई गोपालराम व किशनाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुई तत्पश्चात वादी के पिता व सहखातेदारान गोपालराम, किशनाराम ने अपने नाम की सहखातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 160/110 रकबा 18 बीघा 19 बिश्वा, ख0नं0 163/126 रकबा 19 बीघा 4 बिश्वा, ख0नं0 167/129 रकबा 18 बिश्वा का सहमति से विभाजन कर लिया। जिसका ई.नं. 307 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ बाद विभाजन ख0नं0 167/129 रकबा 18 बीघा भूमि वादी के पिता व गोपालराम के हिस्से पांति में आई। गोपालराम ने ख0नं0 167/129 ने अपनी हिस्सा भूमि का हक परित्याग वादी के हक में कर दिया। जिसका इंतकाल सं0 309 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। जिसके चलते गत ख0नं0 167/129 रकबा 18 बिश्वा कृषि भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। वर्तमान में सम्वत 2072–92 के दौरान हुए बन्दोबस्त के दौरान गत ख0न00 167/129 के नये ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर कायम हुए। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता भाई निराण ने अपने हिस्सा भूमि का हकत्याग प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता पीथा व हरिराम के हक में कर दिया जिसका नामान्तरण सं0 206 दिनांक 27.11.2005 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। तत्पश्चात वादी के पिता व हरिराम ने अपनी हिस्सा भूमि का सहमति से बंटवारा कर लिया। जिसका ई.नं. 462 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। जिसके मुताबिक गत ख0नं0 1662129 रकबा 18 बीघा 1 बिश्वा कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता हिस्से पांति में आई। वर्तमान में संवत 2072–92 में हुई बन्दोबस्त के दौरान गत ख0नं0 166/129 रकबा 18 बीघा 1 बिश्वा के नये ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर कायम हुए। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर जरिये विरास्तन इंतकाल सं0 ... आधार ... के नाम की हिस्सा भूमि विरास्तन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम खातेदारी में ... हुई ... वर्तमान में संवत 2072–2092 में हुए बन्दोबस्त के दौरान वादी के ... ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर का नक्शा दक्षिणी तरफ गलत तरमीम कर दिया गया जबकि वादी की कब्जा काश्त मुताबिक विभाजन नामान्तरण सं0 81 के अनुसार उतरी तरफ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के खेत ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर पर चली आ रही है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

हैक्टेयर रोही सींगड़ी को गलत रूप से उतरी तरफ वादी की कृषि भूमि ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर के स्थान पर तरमीम कर दी गई। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की भूमियां आपस में अदला–बदली कर दी गई और मौके एवं पूर्व में हुए विभाजन के विपरित नक्शा तरमीम कर दिये गये इसलिए ख0नं0 व रकबा यथावत रखते हुए वादी विभाजन व मौके की कब्जा काश्त के अनुसार नक्शा दुरूस्त करवाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पूर्वजों द्वारा विभाजन की गई भूमि के अनुसार पक्षकारान वाद आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उसी अनुसार मौके पर सींवे बनी हुई है। वर्तमान में संवत 2072 में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त के अधिकारियों द्वारा वादी को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसके खेत की आकृति व सरंचना गलत तरमीम कर दी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के खेत की आकृति व संरचना भी गलत तरमीम कर आपस में अदला–बदली कर दी। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। राजस्व कर्मचारियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा विभाजित कृषि भूमियों के नक्शों में तरमीम करते समय हल्का पटवारी द्वारा दी गई निशानदेही के गलत आकृति व संरचना बनाकर तरमीम कर दी गई। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण के खेत की कब्जा काश्त व पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार मौके पर है। जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है तथा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में मौके की कब्जा काश्त के अनुसार सही तरमीम करवाने का कानूनी अधिकारी है जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 से सम्पर्क किया और उन्हें खेतों के बने गलत नक्शा को दूरूस्त करवाने के लिए तहसील कार्यालय सरदारशहर साथ चलने को कहा तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने कहा कि हमारे खेत मौके पर जिस आकृति में बने हुए है उस आकृति में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जायेगा ऐसा कहते हुए साथ चलकर रिकॉर्ड दूरूस्त करवाने से दिनांक 06.03.2025 को गांव रोही सींगडी तहसील सरदारशहर में स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस पर वादी नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 07.03.2025 को तहसील कार्यालय सरदारशहर प्रतिवादी सं0 4 के पास गये तब प्रतिवादी सं0 4 द्वारा मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने का कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करने से दिनांक 07.03.2024 को इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमियां होने से है। प्रतिवादी सं0 4 तहसीलदार सरदारशहर को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार दावा बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। दावा वादी उचित कोर्ट शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादी ने दावा में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर के नक्शा के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर को वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी प्रदान किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

वाद पत्र सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट ने वकालतनामा एवं राजीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार :–

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के खेतों के नक्शे गलत तरमीम है। वादी का खेत ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का खेत ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी को गलत रूप से तरमीम कर दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के खेत ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी को वादी के खेत ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी के स्थान पर गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पूर्वजों ने सहमति विभाजन किया था जिसका नामान्तरण सं0 81 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके विपरित वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के खेतों को वर्तमान में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नक्शा तरमीम कर दिया है। वादी का खेत उतरी तरफ व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का खेत दक्षिणी तरफ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से वादी का खेत दक्षिणी तरफ तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का खेत उतरी तरफ गलत तरमीम किया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 दावा में अंकित तथ्यों से सहमत है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 दावा के अनुतोष की उपमद 'क' के अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और प्रकरण का निस्तारण राजीनामा से करवाना चाहते हैं और निवेदन किया कि दावा के अनुतोष की उममद 'क' के अनुसार वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर को वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शा का स्थान परिवर्तन किया जावे।

प्रतिवादी सं0 4 पैरोकार राज्य के विरूद्ध कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा। वादी के खेत का नक्शा दुरूस्त होने से राज्य के हितों पर कोई विपरित असर नहीं पडेगा। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी सं0 3 का जबाब दावा बन्द किया गया। वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस की इस्तदुआ चाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया कि वादी का खेत ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का खेत ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी को गलत रूप से तरमीम कर दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के खेत ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी को वादी के खेत ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी के स्थान पर गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पूर्वजों ने सहमति विभाजन किया था जिसका नामान्तरण सं0 81 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके विपरित वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के खेतों को वर्तमान में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नक्शा तरमीम कर दिया है। वादी का खेत उतरी तरफ व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का खेत दक्षिणी तरफ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से वादी का खेत दक्षिणी तरफ तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का खेत उतरी तरफ गलत तरमीम किया गया है तथा दावा के साथ संलग्न नामान्तरण सं0 81 की पुश्त पर अंकित नक्शा की ओर ध्यान दिलाया गया जिसमें नक्शा मौके के अनुसार सही तरमीम किया हुआ है। इसलिए वादी वर्तमान के गलत नक्शा को दुरूस्त करवाकर कब्जा काश्त एवं दावा के साथ प्रस्तुत नामान्तरण सं0 81 के अनुसार नक्शा शुद्धिकरण/संशोधन करने की घोषणा न्यायालय हाजा से करवाकर तद्नुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी अधिवक्ता ने दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर ध्यान दिलाते हुए नामान्तरण सं0 81 की पुश्त प्रदर्शित नक्शे की ओर ध्यान दिलाया। वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व वादी के तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। वादी के तथ्यों की पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा से भी होती है और प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने भी वादी अधिवक्ता के तथ्यों का समर्थन किया। प्रकरण के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेत का नक्शा को मौके व कब्जा काश्त के विपरित बन्दोबस्त विभाग द्वारा तरमीम किया गया है। यह तथ्य अधिवक्ता वादी प्रमाणित करने में सफल रहे है और राजीनामा एवं नामान्तरण सं0 81 की पुश्त पर प्रदर्शित नक्शा से वादी के तथ्यों की पुष्टि होती है।

वकील वादी के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जाना तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर को वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर के स्थान पर तरमीम किया जाकर खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जाना आवश्यक है फलस्वरूप वादी वादगत कृषि भूमि के उपर वर्णित खसरों के नक्शों को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर को उतरी दिशा की तरफ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर के नक्शा के स्थान पर तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 204 रकबा 4.5700 हैक्टेयर रोही सींगड़ी तहसील सरदारशहर को वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 205 रकबा 4.5500 हैक्टेयर रोही सींगडी तहसील सरदारशहर के स्थान पर तरमीम किया जावे। खसरा नम्बर एवं रकबा यथावत रखते हुए नक्शो का स्थान परिवर्तन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

दिव्या (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 02/04/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)
सरदारशहर(चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested